

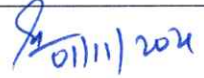
भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	रतलाम जिले में रतलाम—बाजना—कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/ उन्नयनीकरण हेतु 3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि:— 01/11/2021

स्थान:— भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal